

कार्यालय आख्या एस 06

उक्त वाद की सुनवाई आदेश दिनांक 21.08.2024 के क्रम में दिनांक 02.12.2024 नियत की गयी है किन्तु त्रुटिवश उक्त वाद दिनांक 02.12.2024 को सूचीबद्ध नहीं थी जिसके कारण उक्त वाद की सुनवाई दिनांक 02.12.2024 के स्थान पर दिनांक 21.04.2025 नियत की जाती है।

आज्ञा से

मा०, राज्य सूचना आयुक्त,


पेशकार एस-6

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता का नाम

विपक्षी नाम.....

पदनाम.....